हाईस्कूल

राष्ट्रीय इण्टर कालेज सन्दवापुर

बनहरा, बलिया

संख्या २१४ दिनांक १-६-६

परिषद् द्वारा संचालित १९७६ की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित श्यामदेव वर्मा अनुक्रमांक ४०२७०३२ द्वारा प्राप्तांकों का विवरण

वर्ग का नाम ग (कोशाउ्४)

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषयों के नाम	विषय के लिए निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	क्रियात्मक विषय प्रथम	द्वितीय	योग	कुल योग	परीक्षाफल इस स्तम्भ की अनावश्यक प्रविष्टियां काट दी जाय
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) हिन्दी २३१०	१००	१८	१३	२१	–	५२	–	–	–	५२	उत्तीर्ण श्रेणी ...... तृतीय
(२) गणित गृहविज्ञान	१००	११	२२	–	–	३३	–	–	–	३३	विशेष योग्यता ......
(३) भौतिक रसायन जीवविज्ञान	२००	३४	१६	२१	२३	९४	–	–	–	९४	उत्तीर्ण ......
(४) नागरिक	१००	२१	३०	–		५१	–	–	–	५१	अनुत्तीर्ण ......
(५)											पूरक परीक्षा का अधिकारी है ......
(६)											स्वतः परिनिरीक्षण का अधिकारी है ......

सम्पूर्ण प्राप्तांक शब्दों में ...... अंकों में २२९

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

(१) प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(२) विशेष योग्यता पाने के लिये किसी विषय के सम्पूर्ण प्राप्तांक योग में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग कम से कम क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(४) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

(५) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो, केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी भी होंगे। उनकी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जायगा, अतः उन्हें वांछित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे इसके लिये शुल्क जमा कर देंगे तो उसे लौटाया नहीं जायेगा।

(६) जो परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के अधिकारी होते हुये भी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (५) में उल्लिखित परीक्षार्थी की श्रेणी में नहीं आते, वे यदि चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करा सकते हैं। इसके लिये वे सम्बन्धित विद्यालय में प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन-पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क के ट्रेजरी चालान सहित परिषद् कार्यालय में भेजें। परि-निरीक्षण आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ जुलाई १९७६ है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि परिनिरीक्षण के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र उपलब्ध न हो सके तो सादे कागज पर ही अपना पूरा विवरण देते हुये निर्धारित शुल्क के चालान के साथ प्रार्थना-पत्र अवश्य भेज देना चाहिये जिससे वे निर्धारित तिथि के अन्दर ही इस कार्य में प्राप्त हो जाय।